

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2004 को प्रारंभिक शेष	वर्ष में वृद्धि/समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	31.03.2005 को शेष
1.	प्रारक्षित निधि	3166,35,17,152	0	190,19,55,744	0	3356,54,72,896
2.	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00,000	0	5,78,43,807	5,78,43,807	50,00,00,000
3.	प्रारक्षित पूँजी	74,80,53,208	0	0	0	74,80,53,208
4.	निवेश में घट-बढ़ प्रारक्षित निधि	113,55,00,000	0	189,46,39,102	65,24,09,102	237,77,30,000
5.	सहकारिता विकास निधि	75,00,00,000	0	5,49,92,870	5,49,92,870	75,00,00,000
6.	मार्जिन राशि हेतु सुलभ ऋण सहायता निधि	10,00,00,000	0	0	0	10,00,00,000
7.	कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि	5,00,00,000	0	0	0	5,00,00,000
8.	विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	106,19,15,127	0	13,62,29,603	0	119,81,44,730
9.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	1640,00,00,000	0	575,00,00,000	0	2215,00,00,000
10.	कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	0	0	5,00,00,000	0	5,00,00,000
11.	आदिवासी विकास निधि	50,00,00,000	0	0	0	50,00,00,000
	जोड़	5290,89,85,487	0	984,56,61,126	76,52,45,779	6198,94,00,834
	गत वर्ष	4319,43,95,813	2	982,92,30,944	11,46,41,272	5290,89,85,487

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2004 को	भा.रि.बैंक का अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2005 को शेष
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	13070,00,00,000	1,00,00,000	81,00,00,000	13152,00,00,000
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1500,00,00,000	1,00,00,000	10,00,00,000	1511,00,00,000
	जोड़	14570,00,00,000	2,00,00,000	91,00,00,000	14663,00,00,000
	गत वर्ष	14419,00,00,000	2,00,00,000	149,00,00,000	14570,00,00,000

अनुसूची 3 - अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से सृजित निधियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2004 को प्रारंभिक शेष	वर्ष में प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	वर्ष में व्यय/संवितरण/समायोजन	31.03.2005 को शेष
1.	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	34,09,48,974	8,36,17,400	0	0	42,45,66,374
2.	ग्रामीण संवर्द्धन समूह निधि	61,80,70,668	0	0	0	61,80,70,668
3.	ग्रामीण संवर्द्धन समूह निधि पर ब्याज (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	16,99,32,797	0	3,70,84,240	9,99,65,422	10,70,51,615
4.	ऋण और वित्तीय सेवा निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	68,51,54,702	0	4,08,60,226	41,50,940	72,18,63,988
5.	वाटरशेड विकास हेतु केएफडब्ल्यू निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	2,39,20,273	5,19,87,705	12,48,671	4,20,91,106	3,50,65,543
6.	आदिवासी कार्यक्रम हेतु केएफडब्ल्यू - नाबार्ड V निधि *	77,58,785	4,03,94,363	0	4,47,94,995	33,58,153
7.	सीईसी - बीएआईएफ परियोजना निधि (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	136,057	6,45,03,467	4,147	6,45,81,594	62,077
	जोड़	184,59,22,256	24,05,02,935	7,91,97,284	25,55,84,057	191,00,38,418
	गत वर्ष	189,44,58,346	21,71,68,187	7,71,71,187	34,28,75,464	184,59,22,256

* प्राप्त अनुदान नाबार्ड आदिवासी विशेष कार्यक्रम - गुजरात में अंतरित रु.40,45,622/- को घटाने के बाद की राशि है.

अनुसूची 4 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	01-04-2003 को प्रारंभिक शेष	वर्ष में प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	व्यय के समक्ष समायोजित	31.03.2004 को अंतिम शेष
अ.						
1.	जीटीजेड बैंकिंग लिंकेज परियोजना	40,96,521	11,90,658	0	52,87,179	0
2.	शीत भण्डार गृह परियोजनाओं के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी	21,42,62,210	52,00,00,000	0	55,31,75,450	18,10,86,760
3.	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड -IX आदिवासी विकास कार्यक्रम (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	2,42,60,794	4,15,59,541	7,74,927	5,32,87,500	1,33,07,762
4.	नाबार्ड - एसडीसी: ग्रामीण वित्त परियोजना में मानव और संस्थागत विकास सहभागिता	1,04,78,226	3,46,16,336	0	4,50,94,562	0
5.	लघु उद्योगों के तकनीकी उन्नयन के लिए ऋण सहबद्ध पूँजी सब्सिडी	3,00,00,000	0	0	11,69,120	2,88,30,880
6.	ग्रामीण गोदामों के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी	1,83,22,251	93,00,00,000	0	68,79,95,800	26,03,26,451
7.	फसल उत्पादन के लिए ऑन फार्म जल प्रबंध	14,57,45,660	0	0	14,03,58,150	53,87,510
8.	मिलियन उथले नलकूप कार्यक्रम	47,21,91,085	100,00,00,000	0	108,67,73,781	38,54,17,304
9.	नाबार्ड - V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम गुजरात* (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	10,29,378	40,45,622	39,765	50,75,000	39,765
10.	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	5,44,40,000	0	17,70,660	3,00,30,000	2,61,80,660
11.	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	5,44,40,000	0	17,70,660	3,00,30,000	2,61,80,660
12.	जैविक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	0	1,50,00,000	0	0	1,50,00,000
13.	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम-आरएसवीवाई	0	10,00,00,000	0	0	10,00,00,000
14.	आईजीडब्ल्यूडीपी - आंध्र प्रदेश (नोट बी-2 अनुसूची 18 देखें)	31,84,061	32,88,961	1,03,821	49,83,302	15,93,541
	उप-जोड़	103,24,50,186	264,97,01,118	44,59,833	264,32,59,844	104,33,51,293
आ.	एसडीसी एचआईडी परियोजना के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों के लिए नाबार्ड अनुदान	30,30,378	18,83,663	0	24,26,446	24,87,595
	जोड़ (अ+आ)	103,54,80,564	265,15,84,781	44,59,833	264,56,86,290	104,58,38,888
	गत वर्ष	127,24,27,948	272,86,58,556	23,64,210	296,79,70,150	103,54,80,564

	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
इ. एआरडीआर योजना, 1990 के अंतर्गत क्षेत्रा बैंकों/रास बैंकों/राभूवि बैंकों को अनुदान	2695,92,36,175	2695,94,72,596
घटाएँ: एआरडीआर योजना 1990 के अंतर्गत क्षेत्रा बैंकों/रास बैंकों/राभूवि बैंकों को जारी अनुदान	2695,92,36,175	2695,94,72,596
	0	0

* रु.40,45,622/- का प्राप्त अनुदान नाबार्ड V-आदिवासी कार्यक्रम - गुजरात से अंतरित राशि है.

अनुसूची 5 - अन्य निधियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2004 को	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	31.03.2004 को शेष
1.	वाटरशेड विकास निधि	343,09,83,816	71,33,15,161	0	20,25,33,246	2,77,14,858	2,77,14,858	429,14,02,507
2.	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	100,00,00,000	0	40,00,00,000	4,82,07,688	3,54,15,404	2,85,12,992	138,42,79,292
3.	ब्याज विभेदक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम)	60,68,53,612	12,69,85,938	0	0	0	0	73,38,39,550
4.	ब्याज विभेदक निधि (तावा) (नोट बी-1 अनुसूची 18 देखें)	5,20,95,521	42,19,415	0	0	10,00,000	0	5,53,14,936
5.	चिकित्सा सहायता निधि	41,54,966	48,45,074	0	2,47,292	89,50,362	0	2,96,970
6.	आदिवासी विकास निधि	1,15,79,332	94,11,144	0	0	0	0	2,09,90,476
जोड़		510,56,67,247	85,87,76,732	40,00,00,000	25,09,88,226	7,30,80,624	5,62,27,850	648,61,23,731
गत वर्ष		414,18,20,565	89,05,52,278	7,05,11,537	15,63,68,770	9,67,66,299	5,68,19,604	510,56,67,247

अनुसूची 6 - जमाराशियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	केन्द्र सरकार	58,17,000	2,13,17,000
2.	राज्य सरकार	1,55,65,900	1,55,65,900
3.	चाय एवं रबड़ जमा राशियाँ	53,54,37,749	58,73,59,630
4.	वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा)	9169,23,81,000	12088,58,00,000
जोड़		9224,92,01,649	12151,00,42,530

अनुसूची 7 - बांड और डिबेंचर

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	एसएलआर बांड	792,30,11,000	882,30,11,000
2.	करमुक्त बांड	1050,00,00,000	1150,00,00,000
3.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर योग्य बांड	5435,60,00,000	3696,80,00,000
4.	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बांड	3925,00,00,000	1803,50,00,000
5.	केपिटल गेन्स बांड	6001,01,90,000	4350,72,10,000
जोड़		17203,92,01,000	11883,32,21,000

अनुसूची 8 - उधार

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	केन्द्र सरकार से	404,12,91,003	563,05,52,547
2.	सामान्य ऋण व्यवस्था के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से	3927,25,37,000	4193,59,54,000
3.	अन्य से :		
	(क) भारत में वाणिज्य बैंकों से	4300,00,00,000	2500,00,00,000
	(ख) भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से	297,01,04,915	297,01,04,915
जोड़		8928,39,32,918	7553,66,11,462

अनुसूची 9 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	ब्याज उपचित लेकिन देय नहीं		
	क) भारत सरकार से ऋण	20,24,96,006	20,97,37,761
	ख) बांड	468,69,42,786	428,01,49,564
	ग) चाय कंपनियों की जमाराशियाँ	2,34,51,725	4,18,63,220
	घ) केन्द्र और राज्य सरकारों से जमाराशियाँ (एस एल ए)	3,69,071	6,43,682
	ड.) अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों से उधार	49,43,545	58,54,132
	च) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	136,80,37,243	290,13,60,554
	छ) वाणिज्य बैंकों से उधार	66,97,540	36,28,767
	उप-जोड़	629,29,37,916	744,32,37,680
2.	विविध लेनदार (नोट बी-6 अनुसूची 18 देखें)	221,05,56,099	127,08,41,835
3.	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	147,45,40,000	120,10,37,000
4.	पेंशन के लिए प्रावधान (नोट बी-4 अनुसूची 18 देखें)	248,12,15,399	178,98,28,821
5.	साधारण अवकाश के नकदीकरण हेतु प्रावधान	48,38,79,000	45,13,66,000
6.	भा.रि.बैंक के पास बांड पर दावा न किया गया ब्याज	1,22,676	14,95,839
7.	बांड पर दावा न किया गया ब्याज - अन्य	1,63,31,540	3,76,72,210
8.	परिपक्व बांड लेकिन दावा न किया गया (नोट बी-5 अनुसूची 18 देखें)	15,84,51,000	185,87,76,000
9.	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
	(क) मानक आस्तियों हेतु	200,00,00,000	200,00,00,000
	(ख) निवेशों के मूल्य में ह्रास हेतु	103,89,50,721	65,00,000
10.	आय कर के लिए प्रावधान (अदा किए गए कर को छोड़कर)	0	34,93,67,151
	जोड़	1615,69,84,351	1641,01,22,536

अनुसूची 10 - रोकड़ और बैंक शेष

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	हाथ में रोकड़ शेष	35,940	54,845
2.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	42,44,76,370	602,35,64,053
3.	भारत में अन्य बैंकों में शेष		
	(क) चालू खाते में	174,71,29,304	317,23,52,026
	(ख) बैंक में जमा	5225,00,00,000	1720,00,00,000
4.	मार्गस्थ प्रेषण	35,45,14,366	260,26,69,837
	जोड़	5477,61,55,980	2899,86,40,761

अनुसूची 11 - निवेश

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ *	4755,46,12,905	2270,86,60,565
	अंकित मूल्य रु. 41,53,21,30,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 20,47,32,60,000)		
	बाजार मूल्य रु. 46,52,56,98,184		
	(पिछले वर्ष - रु. 25,97,67,02,734)		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0
3.	शेयर		
(क)	एडीएफसी - इक्विटी	15,60,00,000	15,60,00,000
	अंकित मूल्य रु. 15,60,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 15,60,00,000)		
(ख)	एएफसी - इक्विटी	1,00,00,000	1,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 1,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 1,00,00,000)		
(ग)	सिडबी - इक्विटी	48,00,00,000	30,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 16,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 10,00,00,000)		
(घ)	एआईसीआई लि.	60,00,00,000	60,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 60,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 60,00,00,000)		
(ङ)	नैबकॉन्स प्रा. लि.	5,00,00,000	5,00,00,000
	अंकित मूल्य रु. 5,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 5,00,00,000)		
(च)	एनसीडेक्स लि.	4,50,00,000	4,38,90,000
	अंकित मूल्य रु. 4,50,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 4,38,90,000)		
4.	अन्य		
(क)	म्युचुअल फंड	246,30,17,696	25,01,96,996
	अंकित मूल्य रु. 245,00,00,000		
	(पिछले वर्ष - रु. 23,74,03,330)		
(ख)	बी वी एफ-एपीआईडीसी - V निवेश	2,00,00,000	0
जोड़		5137,86,30,601	2411,87,47,561

* 31.03.2005 को शेष में सीसीआईएल में बंधक रु.10,00,00,000 की प्रतिभूतियाँ (बुक वैल्यू रु.13,02,52,050/-) शामिल हैं.

अनुसूची 12 - अग्रिम

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	पुनर्वित्त ऋण :		
	(क) उत्पादन और विपणन ऋण	8185,02,80,135	5597,96,03,835
	(ख) नाबार्ड ऋण व्यवस्था	122,00,00,000	0
	(ग) उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	364,72,28,201	633,42,87,054
	(घ) मध्यावधि निवेश ऋण - गैर परियोजना ऋण	2,59,07,800	5,21,63,760
	(ङ) चलनिधि सहायता	808,10,61,000	0
	(च) अन्य निवेश ऋण :		
	i) मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (नोट बी-9 अनुसूची 18 देखें)	27937,82,64,790	28075,69,04,921
	ii) दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	405,99,64,466	459,65,31,994
	iii) अंतरिम वित्त	46,65,200	3,46,98,400
2.	प्रत्यक्ष ऋण :		
	i) ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत ऋण	10513,14,27,950	14003,59,38,359
	ii) अन्य ऋण	11,05,38,970	10,61,62,181
	iii) सह-वित्तपोषण ऋण	3,81,51,998	63,53,744
जोड़		48354,74,90,510	48790,26,44,248

अनुसूची 13 - अचल आस्तियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	भूमि : पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाकृत (नोट बी-8 अनुसूची 18 देखें) गत लेखानुसार वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएँ : लीज प्रिमिया का परिशोधन बही मूल्य	117,69,33,140 (-) 5,41,458 117,63,91,682 22,55,83,782 95,08,07,900	117,98,98,101 (-) 29,64,961 117,69,33,140 19,72,81,744 97,96,51,396
2.	परिसर : (नोट बी-8 अनुसूची 18 देखें) गत लेखानुसार वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास बही मूल्य	215,47,55,385 1,03,23,596 216,50,78,981 96,09,33,989 120,41,44,992	192,76,13,953 22,71,41,432 215,47,55,385 86,90,94,489 128,56,60,896
3.	फर्नीचर और फिक्शर्स (लागत पर) गत लेखानुसार वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन उप-जोड़ घटाएँ : बिकी हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास बही मूल्य	50,35,89,969 6,73,94,029 57,09,83,998 5,00,91,361 52,08,92,637 42,76,71,533 9,32,21,104	47,79,92,423 3,06,75,659 50,86,68,082 50,78,113 50,35,89,969 41,58,40,234 8,77,49,735
4.	कम्प्यूटर इंस्टालेशन और कार्यालय उपकरण गत लेखानुसार वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन उप-जोड़ घटाएँ : बिकी हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास बही मूल्य	53,19,43,041 8,67,38,592 61,86,81,633 3,90,14,289 57,96,67,344 48,45,07,043 9,51,60,301	50,05,38,046 5,45,70,956 55,51,09,002 2,31,65,961 53,19,43,041 44,43,61,151 8,75,81,890
5.	वाहन गत लेखानुसार वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन उप-जोड़ घटाएँ : बिकी हुई/बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत रोकड़ शेष (लागत पर) घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास बही मूल्य	2,62,31,679 18,87,818 2,81,19,497 25,27,761 2,55,91,736 1,93,51,189 62,40,547	2,34,60,085 62,58,474 2,97,18,559 34,86,880 2,62,31,679 1,87,25,238 75,06,441
	जोड़	234,95,74,844	244,81,50,358

अनुसूची 14 - अन्य आस्तियाँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	उपचित ब्याज	1057,63,72,830	1141,35,01,335
2.	भूस्वामियों के पास जमाराशियाँ	1,18,44,660	1,03,16,776
3.	सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों में जमाराशियाँ	2,16,30,022	2,02,28,909
4.	स्टाफ को आवास एवं अन्य ऋण	134,28,14,597	135,76,07,276
5.	भूस्वामियों को अग्रिम	15,06,141	15,63,374
6.	स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों के निर्माण/खरीद हेतु अग्रिम	21,24,60,255	15,86,08,497
7.	फुटकर अग्रिम	27,92,13,313	25,48,45,489
8.	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को छोड़कर)	116,35,58,427	0
9.	आस्थगित कर परिसंपत्ति (नोट बी - 7 अनुसूची 18 देखें)	211,20,00,000	153,40,00,000
10.	मार्गस्थ चेक	0	64,97,36,338
11.	भारत सरकार/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य व्यय	1,74,69,609	1,74,62,160
	जोड़	1573,88,69,854	1541,78,70,154

अनुसूची 15 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	निम्न मर्दों पर अदा किया गया ब्याज		
	(i) केन्द्र सरकार से ऋण	39,26,42,825	41,43,69,894
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार	139,54,55,630	148,30,61,664
	(iii) बांड	873,09,55,120	802,84,71,234
	(iv) केन्द्र और राज्य सरकार से विशेष ऋण जमाराशियाँ	25,18,247	33,75,945
	(v) चाय जमाराशियाँ	2,90,42,435	4,35,41,792
	(vi) ग्रेच्युटी और चिकित्सा निधि	9,30,43,594	8,88,22,753
	(vii) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से लिए गए उधार	18,27,93,792	18,27,93,792
	(viii) ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत जमाराशियाँ	802,58,65,831	1278,91,78,324
	(ix) ग्रामीण संवर्धन समूह निधि	3,70,84,240	3,73,41,764
	(x) ऋण और वित्तीय सेवा निधि	4,08,60,226	3,87,82,342
	(xi) पशुधन विकास कार्यक्रम (उ.प्र. एवं बिहार)	35,41,320	0
	(xii) केएफडब्ल्यू-नाबार्ड-IX आदिवासी विकास कार्यक्रम	7,74,927	5,03,662
	(xiii) वाटरशेड विकास निधि	20,25,33,246	15,57,27,301
	(xiv) सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	4,82,07,688	0
	(xv) सीईसी - बीएआईएफ परियोजना निधि	4,147	69,112
	(xvi) इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश)	1,03,821	97,360
	(xvii) नाबार्ड - V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम - गुजरात	39,765	10,29,378
	(xviii) वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि	12,48,671	9,77,969
	(xix) भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कारपोरेट उधार	186,44,97,254	36,71,89,042
2.	स्वाप प्रभार	3,42,17,443	2,07,79,170
3.	प्रतिभूति तथा बांड पर बट्टा, दलाली, कमीशन और जारी करने संबंधी व्यय	5,04,99,863	3,98,78,222
	जोड़	2113,59,30,085	2369,59,90,720

अनुसूची 16 - स्थापना तथा अन्य व्यय

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	वेतन तथा भत्ते	155,87,94,371	148,70,86,060
2.	स्टाफ अधिवर्षिता निधि में अंशदान	104,95,86,190	113,62,36,966
3.	निदेशकों और समिति सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते	6,01,515	20,29,021
4.	निदेशकों और समिति सदस्यों का शुल्क	23,500	23,500
5.	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	16,96,91,368	16,20,65,559
6.	यात्रा व्यय	16,45,47,570	14,68,47,326
7.	मुद्रण और लेखन सामग्री	2,50,87,913	2,32,41,261
8.	डाक, तार और टेलीफोन	4,59,31,002	3,98,50,063
9.	मरम्मत कार्य	2,07,35,916	3,09,10,233
10.	लेखा परीक्षा फीस	7,18,400	6,19,580
11.	विधि प्रभार	13,98,038	30,72,165
12.	विविध व्यय	29,84,49,601	24,45,95,427
13.	अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर व्यय * (क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यालयों के स्थापना व्यय रु.2,86,03,782/- (रु.2,59,14,559/- सहित)	17,66,41,194	16,61,52,300
14.	निम्नलिखित के अंतर्गत प्रोत्साहन गतिविधियों पर व्यय (i) सहकारिता विकास निधि (ii) सूक्ष्म वित्त विकास एवं इक्विटी निधि (iii) वाटरशेड विकास निधि	5,49,92,870 2,85,12,992 2,77,14,858	4,75,95,442 3,13,15,379 2,55,04,226
15.	सम्पत्ति कर (नोट बी-13 अनुसूची 18 देखें)	50,77,351	9,88,107
	जोड़	362,85,04,649	354,81,32,615

* एसडीसी-एचआईडी परियोजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान रु.4,50,94,561.97 (रु.4,86,01,924) के समायोजन के बाद निवल राशि.

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ एवं आकस्मिक देयताएँ

(रुपए)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2005 को शेष	31.03.2004 को शेष
1.	निष्पादित किए जाने के लिए शेष पूँजी संविदाओं के लिए प्रतिबद्धता	21,76,56,000	12,44,00,000
2.	आकस्मिक देयताएँ i) परिसरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भुगतान के विवादग्रस्त दावे ii) अपील में आयकर के मामले	60,01,19,000 23,52,00,000	65,48,45,000 0

अनुसूची - 18

1. सामान्य

सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसरण में लागत निर्धारण के परम्परागत तरीकों के अनुसार लेखे तैयार किए गए हैं.

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2. आय और व्यय

2.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

- भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचान की गई अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज और सरकार द्वारा गारंटीकृत 180 दिनों से अधिक समय से बकाया अग्रिमों, पर ब्याज.
- ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब अथवा ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.
- ग्रामीण संवर्धन समूह निधि, ऋण और वित्तीय सेवा निधि, कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवन निधि तथा केएफडब्लू-नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम निधि से दिए गए ऋणों पर सेवा-प्रभार.
- व्यय के एकल शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई पर रु.10,000 से अनधिक खर्च की राशि.

2.2 बांड जारी करने से संबंधित निर्गम व्यय को बांड जारी करने के वर्ष के खर्च के रूप में माना गया है.

3. अचल परिसम्पत्तियाँ और मूल्य ह्रास

3.1 अचल परिसम्पत्तियों को लागत के आधार पर बताया गया है.

3.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाकृत भूमि शामिल है.

3.3 परिसर में उस भूमि का मूल्य शामिल है जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है.

3.4 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर अवस्थित परिसरों के लिए मूल्यह्रास रिटेन डाउन वैल्यू के आधार पर प्रभारित किया गया है.

3.5 निर्धारित दरों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है, भले ही परिसम्पत्ति की खरीद की तारीख कुछ भी हो.

3.6 कंप्यूटरों, मोटर वाहनों, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आदि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है.

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ और परिशोधन

3.7 पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किये गये लीज प्रीमियम का परिशोधन और पट्टाकृत भूमि पर स्थित परिसरों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास मूल्यह्रासित पद्धति के अनुसार 5% की अधिक दर पर करके प्रभारित किया गया अथवा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर भूमि की शेष लीज अवधि के प्रीमियम/लागत का परिशोधन कर आकलित राशि के अनुसार किया गया.

3.8 सॉफ्टवेयर की खरीद पर व्यय हुई धनराशि को राजस्व व्यय माना गया है.

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेश संविभाग तीन श्रेणियों 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित', में वर्गीकृत किया गया है. प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, iii) शेयर, और iv) अन्य में वर्गीकृत किया गया है.

4.2 परिपक्वता के लिए धारित प्रतिभूतियाँ यदि अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर अर्जित की गई हों तो, उन्हें अधिग्रहण लागत या परिशोधन लागत पर प्रभारित किया गया है. अस्थायी को छोड़कर कमी के लिए प्रावधान किया गया है.

4.3 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित' निवेशों को निर्धारित अंतराल पर बाजार से समायोजित किया जाता है. जबकि 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक श्रेणी में निवेश के लिए यदि केवल निवल मूल्यह्रास किया गया है तो व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों की प्रत्येक श्रेणी में मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि को मान्य समझा गया है.

4.4 निवेशों को लागत के आधार पर दिखाया जाता है और यदि उनके मूल्य में कोई ह्रास/घटाव हो तो उसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों में शामिल किया गया है.

4.5 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं में निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न, कमी हेतु यथावश्यक प्रावधान किया गया है.

4.6 अभिग्रहण के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि की राशि को राजस्व मद माना गया है।

4.7 ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व मद माना गया है।

5. ऋण और उनके लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधान मानदण्डों के अनुरूप और आवधिक समीक्षा के आधार पर चिह्नित अग्रिमों के संबंध में गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

5.2 सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकारों को दिए गए अग्रिमों को मानक परिसम्पत्तियाँ माना गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर पुनः लिखा गया है। इसके परिणामस्वरूप हुए लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

6.2 हेजिंग करार के तहत कवर किए गए विदेशी मुद्रा उधारों को संविदा मूल्य पर लिखा गया है।

6.3 करेंसी स्वेप करार के निरस्तीकरण अथवा नवीकरण से हुए लाभ / हानि को करार के अंतिम निस्तारण में समायोजित किया गया है।

7. सेवानिवृत्त लाभ

7.1 बैंक की भविष्य निधि योजना का प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। निधि में वास्तविक आधार पर अंशदान किया जाता है।

7.2 बीमांकिकी मूल्यांकन आधारित पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें रिजर्व बैंक से स्थानान्तरित कर्मचारियों हेतु भी प्रावधान शामिल हैं। रिजर्व बैंक से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

7.3 पेंशन योजना में बैंक का अंशदान बीमांकिकी आधारित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

7.4 पेंशन का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों से संबंधित, नियोक्ता की ओर से भविष्य निधि अंशदान की राशि (जो अब पेंशन निधि का अंश है) का प्रबंध रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

7.5 साधारण अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकिकी आधारित मूल्यांकन पर किया गया है।

8. आय पर कर

8.1 चालू अवधि के लिए आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में और असेसमेंट / अपील के अनुमानित निष्कर्ष के आधार पर कर योग्य आय और कर क्रेडिट की गणना पर आयकर का निर्धारण किया गया है।

8.2 आस्थगित कर की पहचान लेखांकन आय और वर्ष के लिए कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के आधार पर की गई है। कर की दरों और अधिनियमित अथवा तुलन-पत्र की तारीख को वास्तव में अधिनियमित कानूनों का प्रयोग करके उसकी मात्रा निर्धारित की गई है।

8.3 आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है जहाँ तक यह तार्किक रूप से निश्चित है कि भविष्य में कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।

9. खंड रिपोर्टिंग की नीति

9.1 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित एवं इसमें विनियोज्य अन्य आय एवं ब्याज शामिल हैं।

9.2 ऐसे व्यय जो किसी खंड से सीधे पहचान योग्य / विनियोज्य हैं, उन्हें खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए निश्चित किया गया है। ऐसे व्यय जिनका सम्पूर्ण बैंक से संबंध है और जिन्हें विनियोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अन्य अविनियोज्य व्ययों में शामिल किया गया है।

9.3 सम्पूर्ण बैंक से संबंधित है जो आय विनियोज्य नहीं है, उसे अन्य अविनियोज्य - बैंक आय में शामिल किया गया है।

9.4 संबंधित खंड से सीधे पहचान योग्य परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ खंड आस्तियाँ और देयताओं में शामिल हैं। अविनियोज्य परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ वे हैं जो समग्र रूप से बैंक से संबंधित हैं तथा जो किसी खंड में अविनियोज्य हैं।

10. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

10.1 प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की धारित राशि की अनर्जकता के लिए परीक्षण किया जाता है जिससे,

क) यदि कुछ हानि हुई हो तो, उसके लिए प्रावधान अथवा

ख) पिछली अवधि में पहचानी गई क्षतिग्रस्त हानि, यदि कुछ हो तो, उसका प्रत्यावर्तन किया जा सके।

10.2 क्षतिग्रस्त हानि तब मानी जाती है जब किसी आस्ति की धारित राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

11.1 निम्नलिखित स्थितियों में केवल पर्याप्त स्तर के प्राक्कलन का उपयोग कर आँकी गई देयताओं के लिए प्रावधान को मान्यता दी जाती है;

- (क) पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है.
- (ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आशा है.
- (ग) देयता की राशि का वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है.

11.2 भारि बैंक से स्थानान्तरित स्टाफ हेतु ग्रेच्युटी प्रावधान के लिए भारि बैंक द्वारा देय राशि, जिसकी गणना नकद आधार पर की जाती है, को छोड़कर व्यय से संबंधित संभावित प्रतिपूर्ति, जिसके लिए प्रावधान की आवश्यकता है, केवल उसी स्थिति में मान्य है जब यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

11.3 आकस्मिक देयता को निम्नलिखित स्थितियों से उजागर किया जाता है :

(क) पिछली घटना से वर्तमान देयता उद्भूत होती हो. जब इसकी संभावना नहीं है कि दायित्व को पूरा करने के लिए बाहरी संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी.

(ख) जब तक बहिर्गमन की संभाव्यता नगण्य न हो, संभावित देयता.

11.4 आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की जाती है और न ही प्रकट किया जाता है.

11.5 तुलन पत्र की प्रत्येक तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

आ. लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. तावा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना करार के अनुसार बैंक को दिए गए ऋणों पर भारत सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है, जिसमें से 4.5 प्रतिशत 'विभेदक ब्याज निधि' में लेखाबद्ध किया गया है, जिसका उपयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए किया गया है और शेष 2 प्रतिशत का भुगतान भारत सरकार को किया गया है.

2. सीएफएसएफ, आरपीसीएफ, वाटरशेड विकास के लिए केएफडब्ल्यू निधि, सीईसी - बैंफ परियोजना के अंतर्गत निधियाँ, केएफडब्ल्यू नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी - आंध्र प्रदेश, नाबार्ड V आदिवासी विशेष विकास कार्यक्रम (गुजरात), केएफडब्ल्यू नाबार्ड IX आदिवासी विकास कार्यक्रम, पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश) और पशुधन विकास कार्यक्रम (बिहार) की अप्रयुक्त शेष राशियों पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज को संबंधित निधि के करार के अनुसार उसमें जमा किया गया है.

3. कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जाने वाले अनुदान और राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए ऋण/ अनुदानों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त होने वाली निधियों के संवितरण के लिए बैंक एक चैनल के रूप में काम कर रहा था.

4. 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी पेंशन निधि की शेष राशि की पुष्टि बैंक को प्राप्त नहीं हुई है. यह पुष्टि प्राप्त होने तक बैंक की बहियों के अनुसार भारि बैंक के पास रखी पेंशन निधि की शेष राशि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है.

5. बैंक द्वारा जारी बांडों की सर्विसिंग / प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता था. 01 अक्टूबर 2003 से, इन बांडों की सर्विसिंग का कार्य बैंक ने अपने हाथ में ले लिया. परिपक्व किंतु दावा नहीं किए गए बांडों के कारण देय बकाया शेष तथा दावा नहीं किए गए ब्याज को बैंक द्वारा 01 अक्टूबर 2003 से आगे की अवधि में किए गए भुगतानों को घटाकर दर्शाया गया है.

6. परिचालनात्मक दिशानिर्देश प्राप्त होने तक सहकारी ऋण ढाँचे के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार से प्राप्त रु.100 करोड़ को विविध लेनदार खाते में रखा गया है.

आयकर के लिए प्रावधान

7. आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताओं के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं.

(रु.करोड़)

क्रम सं	आस्थगित कर आस्तियों के कारण	1 अप्रैल 2004 की स्थिति	वर्ष के दौरान बढ़त / घटत)	31 मार्च 2005 की स्थिति
1.	बही में दर्ज सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान किंतु कर प्रयोजन के लिए अदायगी के आधार पर अनुमतियोग्य	123.46	25.90	149.36
2.	अचल आस्तियों पर मूल्य-ह्रास	29.94	(-) 3.60	26.34
3.	स्टॉक में भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर खंडित अवधि का ब्याज	0.00	35.50	35.50
	जोड़	153.40	57.80	211.20

8. 'भूमि' और 'परिसर'के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए रु.43.77 करोड़ (रु.46.96 करोड़) की कुल राशि का भुगतान शामिल है जिनके संबंध में कतिपय प्रक्रियागत विलंब के कारण अभी तक राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरण विलेख / अन्य कानूनी दस्तावेज निष्पादित नहीं किए गए हैं।

9. विभिन्न राज्य भूमि विकास बैंकों/भूमि बंधक बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में बैंक ने अभिदान किया है। इन्हें 'अग्रिम-अन्य-निवेश-ऋण - मध्यावधि - और दीर्घावधि परियोजना ऋण' के अंतर्गत शामिल किया गया है। आबंटन पत्रों / डिबेंचर रसीदों के मूल्य की राशि जो अभी प्राप्त होनी है, वह अब तक रु.183.04 करोड़ (रु.219.85 करोड़) है।

10. एसडीसी-एचआईडी परियोजना के तहत खरीदी गई आस्तियों पर एसडीसी के हिस्से का मूल्यहास रु.0.24 करोड़ घटाकर लाभ एवं हानि खाते में मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

11. बैंक ने यह पहचान की है कि आस्तियों में कोई महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्तता नहीं है अतः इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एस-28) के अनुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

12. अनुसूची 17 में दर्शाई गई आकस्मिक देयताएँ क्रमशः न्यायालय / विवाचन / न्यायालय से बाहर समझौते, संविदागत दायित्व के तहत माँगी गई धनराशि, संबंधित पक्षों द्वारा की गई माँग से संबंधित घटनाक्रम, अपीलों के निस्तारण के परिणाम पर आधारित हैं। ऐसे मामलों में किसी भी खर्च के लिए बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की संभावना नहीं है।

(रु.करोड़)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2004 को शेष	65.48
वर्ष के दौरान वृद्धि	23.52
वर्ष के दौरान घटत	5.47
31 मार्च 2005 को शेष	83.53

13. लाभ-हानि खाते में शामिल अवधि पूर्व मदें इस प्रकार हैं:

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2004-05	2003-04
1.	मूल्यहास	0.04	1.87
2.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	1.43
3.	अन्य व्यय	0.03	0.00
4.	संपत्ति कर	0.18	0.00

14. 31 मार्च 2005 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मुकाबले 38.78 प्रतिशत था।

15. जहाँ भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आँकड़े पुनः वर्गीकृत / पुनःनिर्धारित किए गए हैं।

16. कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

17. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र (संदर्भ सं. डीबीएस. एफआईडी. सी-18/ 01.02.00/2000-01 दिनांक 23 मार्च 2001 एवं संदर्भ सं. डीबीएस.एफआईडी सं.सी-14/01.02.00/2001-02 दिनांक 08 फरवरी 2002) के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएँ प्रकट की गई हैं।

I. पूँजी

(क) कैपिटल टू रिस्क-वेटेड ऐसेट रेशियो (सीआरएआर)

(प्रतिशत)

विवरण	31 मार्च 2005	31 मार्च 2004
सीआरएआर	38.78	39.41
कोर सीआरएआर	36.77	37.77
अनुपूरक सीआरएआर	2.01	1.64

(ख) सबॉर्डिनेटेड ऋण

(रु.करोड़)

विवरण	31 मार्च 2005	31 मार्च 2004
ली गई और बकाया सबॉर्डिनेटेड ऋण राशि	शून्य	शून्य

(ग) रिस्क वेटेड आस्तियाँ

(रु.करोड़)

विवरण	31 मार्च 2005	31 मार्च 2004
ऑन-बैलेंस शीट मदें	21,687.67	19,087.02
ऑफ-बैलेंस शीट मदें	83.53	65.48

(घ) तुलन पत्र की तारीख को पूँजी अंशदान की पद्धति

(रु.करोड़)

अभिदाता	31 मार्च 2005	31 मार्च 2004
भारतीय रिज़र्व बैंक	1,450	1,450
भारत सरकार	550	550
जोड़	2,000	2,000

II. आस्तियों की गुणवत्ता और ऋण सघनता (स्टाफ अग्रिमों को छोड़कर)

(क) निवल एनपीए की स्थिति

विवरण	31 मार्च 2005	31 मार्च 2004
शुद्ध ऋणों और अग्रिमों में शुद्ध अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत	0.000004	0.001428

(ख) आस्तियों का वर्गीकरण (स्टाफ अग्रिमों को छोड़कर)

(रु. करोड़)

आस्ति वर्गीकरण	2004-05		2003-04	
	राशि	(%)	राशि	(%)
मानक	48,354.042	99.998538	48,789.460	99.998360
अव-मानक	0.002	0.000004	0.780	0.001600
संदिग्ध	0.705	0.001458	0.020	0.000040
हानि	शून्य	-	शून्य	-
जोड़	48,354.749	100	48,790.260	100

ग) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान :

(रु. करोड़)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	2004-05	2003-04
मानक आस्तियाँ	0.00	51.36
अनुत्पादक अग्रिम	0.26	0.27
निवेश	103.24	0.65
आयकर	357.00	375.00
जोड़	460.50	427.28

(घ) अनुत्पादक आस्तियों में परिवर्तन :

(रु. करोड़)

विवरण	2004-05	2003-04
वर्ष के प्रारंभ में अनुत्पादक आस्तियाँ (क)	1.42	2.04
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि (ख)	0.01	0.21
उप-जोड़ (क+ख) (ग)	1.43	2.25
घटाएँ : वर्ष के दौरान आई कमी (घ)	0.44	0.83
वर्ष की समाप्ति पर अनुत्पादक आस्तियाँ (ग+घ)	0.99	1.42

(ङ) पूँजी निधियों में और कुल आस्तियों में ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता :

क्रम सं.	वर्ग	2004-05		2003-04	
		ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता		ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता	
		पूँजी निधियों में	कुल आस्तियों में	पूँजी निधियों में	कुल आस्तियों में
I	सबसे बड़ा एकल ऋणकर्ता	37.16	5.01	5.43	5.43
II	सबसे बड़ा ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं		लागू नहीं	
III	वर्ष में दस सबसे बड़े एकल ऋणकर्ता				
	1. उ.प्र राज्य भूमि विकास बैंक	37.16	5.01	41.60	5.43
	2. आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक	33.28	4.49	39.43	5.14
	3. पंजाब राज्य सहकारी बैंक	29.76	4.01	25.03	3.26
	4. हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक	22.71	3.06	22.33	2.91
	5. पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक	19.70	2.66	21.58	2.81
	6. आई सी आई सी आई बैंक	19.21	2.59	26.80	3.50
	7. केरल राज्य भूमि विकास बैंक	16.48	2.22	17.57	2.29
	8. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार	16.34	2.20	18.73	2.44
	9. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक	15.95	2.15	14.30	1.87
	10. मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक	15.35	2.07	14.72	1.92
IV	दस सबसे बड़े ऋणकर्ता समूह	लागू नहीं		लागू नहीं	

(ज) पाँच सबसे बड़े उद्योग समूहों को ऋण एक्सपोजर की कुल ऋण आस्तियों में प्रतिशतता : लागू नहीं.

III. चलनिधि

- (1) रुपयों में आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप :
 (2) विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप :

(रु. करोड़)

मद	1 वर्ष अथवा उससे कम	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़ #
आस्तियाँ रुपए में	22,339.00	13,932.92	10,001.17	6,705.79	7,599.20	60,578.08
आस्तियाँ विदेशी मुद्रा में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल आस्तियाँ	22,339.00	13,932.92	10,001.17	6,705.79	7,599.20	60,578.08
देयताएँ रुपए में	12,481.13	11,692.92	8,105.34	2,903.37	25,098.31	60,281.07
देयताएँ विदेशी मुद्रा में	2.58	11.62	18.21	19.69	211.91	297.01
कुल देयताएँ	12,483.71	11,704.54	8,123.55	2,923.06	25,343.22	60,578.08

भारिबैंक के निदेशानुसार, सल्लिडियरीज़ के शेयरों में निवेश के मूल्य में हास के लिए प्रावधान तथा मानक आस्तियों हेतु प्रावधान, जिन्हें तुलन पत्र में देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, को उक्त तालिका में आस्तियों में से घटा दिया गया है.

IV. परिचालन परिणाम

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष
1.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.90	8.02
2.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.04	0.11
3.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	3.22	3.61
4.	आस्तियों पर आय (%)	1.82	2.78
5.	प्रति कर्मचारी लाभ (रु.करोड़)	0.20	0.28

V. प्रावधानों में परिवर्तन

क) अनुत्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान

(रु.करोड़)

क्रमांक	विवरण	2004-05	2003-04
1.	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	0.49	0.97
2.	जोड़ें वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.26	0.27
3.	घटाएँ बेशी प्रावधान को बट्टे खाते डालना, वापस लेना	0.00	0.75
4.	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष	0.75	0.49

(ख) निवेशों में हास हेतु प्रावधान

(रु.करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2004-05
1.	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	0.65
2.	जोड़ें	
	i) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	38.00
	ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते से विनियोजन, यदि कोई हो	65.24
3.	उप-जोड़ (1 + 2.i + 2.ii)	103.89
4.	घटाएँ	
	i) वर्ष के दौरान बट्टे खाते	0.00
	ii) निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते में अंतरण, यदि कोई हो	0.00
5.	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष (3-4.i-4.ii)	103.89

VI. पुनःसंरचित लेखे

वर्ष के दौरान, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों पर बकाया 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाली रु.3,374.85 करोड़ की मानक पुनर्वित्त ऋण आस्तियों को 8 प्रतिशत पर रीसेट करके पुनःसंरचित किया गया.

VII. डेरिवेटिव्स में जोखिमभरे निवेश के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जुलाई 1999 के परिपत्र से एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 के अनुसार अनुमत वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप नहीं किया गया. पुनश्च वर्ष के दौरान ब्याज दर डेरिवेटिव का कोई भी लेन-देन नहीं किया गया.

बैंक डेरिवेटिव्स में व्यापार नहीं करता है. फिर भी बैंक ने वेएफडब्ल्यू जर्मनी से लिए गए उधार 58.80 मिलियन यूरो और इस पर उपचित होने वाले ब्याज के संबंध में अपनी देयता के लिए 10 वर्ष की अविध के लिए हेजिंग की है. हेज डेरिवेटिव्स लेन-देन की गणना हेज लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार होती है. विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणामस्वरूप इसे स्वैप करार के अनुसार संविदागत कीमत पर दर्शाया गया है. वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार बकाया हेज करार की कीमत रु.374.84 करोड़ थी जिसमें रु.332.68 करोड़ मूलधन के लिए और रु.42.16 करोड़ ब्याज के लिए है.

VIII. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(रु.करोड़)

पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया
भारतीय रिज़र्व बैंक	नाबार्ड की पूंजी में 72.50% स्वामित्व	उधार (चुकौती को छोड़कर) उधार पर ब्याज नाबार्ड द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियों में प्राप्त अंशदान	(266.35) 139.55 2.00	3927.25
भारत सरकार	नाबार्ड की पूंजी में 27.50% स्वामित्व	उधार (चुकौती को छोड़कर) उधार पर ब्याज गारंटी शुल्क	(160.48) 39.41 1.89	404.71 20.25
एडीएफटी, चेन्नई	शेयर पूंजी का 52.10% नियंत्रण	उधार (चुकौती को छोड़कर)	0.00	0.00
एबीएफएल, हैदराबाद	नाबार्ड द्वारा धारित शेयर पूंजी - 47.82% नियंत्रण	उधार (चुकौती को छोड़कर) ऋण पर ब्याज	(1.36) 0.09	0.00 0.00
केएडीएफसी, बंगलूर	शेयर पूंजी का 82.41% नियंत्रण	कोई लेन-देन नहीं	0.00	0.00
नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्रा.लि.	संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	नाबार्ड द्वारा खर्च की गई राशि	1.26	0.82
श्रीमती रंजना कुमार	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - अध्यक्ष	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.24	0.00
श्री य.शं.पा. थोरात	प्रमुख प्रबंध कार्मिक - प्रबंध निदेशक	अनुलाभों सहित पारिश्रमिक	0.07	0.00

IX. व्यवसाय खंडों के संबंध में सूचना

क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

i) **सीधा वित्तपोषण** : ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और स्वैच्छिक एजेन्सियों/गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिया गया ऋण इस खंड में शामिल हैं.

ii) **पुनर्वित्त** : राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को संवितरित ऋणों हेतु प्रदत्त पुनर्वित्त.

iii) **ट्रेजरी** : कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश.

iv) **अनाबंटित** : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों, अन्य विविध प्राप्तियों से और बैंक की विकासात्मक भूमिका के लिए

किए गए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है।

भौगोलिक रूप से चयनित द्वितीयक व्यवसाय खंड के तहत निम्नलिखित राज्यों में कारोबार शामिल है।

i) **दक्षिणी अंचल** : कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंगलूर.

ii) **पूर्वी अंचल** : त्रिपुरा, मिज़ोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,

क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोलपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय.

iii) **उत्तरी अंचल** : मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बिहार, नई दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उत्तरांचल.

iv) **पश्चिमी अंचल** : गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और प्रधान कार्यालय, मुंबई.

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

(रु.करोड़)

क्रम सं.	खंड	बाहरी ग्राहकों से खंड राजस्व	खंड परिणाम	खंड आस्तियाँ	खंड देयताएँ
1.	प्रत्यक्ष वित्त	1,167.94	331.73	10,569.79	9,388.93
2.	पुनर्वित्त	2,323.86	960.39	38,666.16	#41,389.79
3.	ट्रेजरी	433.37	328.32	5,260.06	0.00
4.	अनाबंटित	13.58	(287.83)	6,283.05	4,144.18
जोड़		3,938.75	1,332.61	60,779.07	54,922.90
# जहाँ बाहरी देनदारियाँ नहीं हैं, वहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधियों का शेष भी सम्मिलित है.					

ग) अनुपूरक द्वितीयक खंड के संबंध में सूचना

(रु.करोड़)

क्रम सं.	भौगोलिक खंड	बाहरी ग्राहकों से प्राप्त खंड राजस्व	खंड आस्तियाँ
1	पूर्वी अंचल	416.93	5,443.41
2	उत्तरी अंचल	1,675.16	23,847.89
3	दक्षिणी अंचल	925.03	14,036.08
4	पश्चिमी अंचल	921.63	17,451.68
जोड़		3,938.75	60,779.07

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
शार्प एण्ड टैनन
सनदी लेखाकार
हस्ताक्षरकर्ता :

पी. सतीश
मुख्य महाप्रबंधक
वित्त और लेखा विभाग
नई दिल्ली

मिलिंद पी. फडके
साझेदार
सदस्यता सं. 33013
नई दिल्ली

रंजना कुमार
अध्यक्ष
दिनांक 14 जून 2005

य.शं.पा. थोरात
प्रबंध निदेशक

राधा सिंह
निदेशक

डॉ. पी. राघवन
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये)

विवरण	2004-05 में	2003-04 में
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	1332,61,87,497	1460,42,81,605
मूल्यह्रास	26,14,95,776	30,15,16,049
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज	33,46,45,343	23,51,70,357
अन्य व्यय	16,90,64,527	17,14,60,876
निवेश से आय	(432,08,77,974)	(215,55,57,388)
विभिन्न निधियों से व्यय	(314,34,15,498)	(357,90,72,789)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालनगत लाभ	662,70,99,671	957,77,98,710
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन :		
चालू आस्तियाँ	(3364,42,33,952)	(478,71,67,087)
चालू देयताएँ	9,62,28,966	601,99,97,890
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	(2692,09,05,315)	1081,06,29,513
आयकर का भुगतान	(508,29,25,578)	(304,06,32,849)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	(3200,38,30,893)	776,99,96,664
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय	432,08,77,974	215,55,57,388
अचल आस्तियों में वृद्धि / कमी	(16,29,20,262)	(31,18,50,887)
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	(2705,87,73,041)	(1047,49,46,541)
शेयरों का क्रय	(20,11,10,000)	(9,38,90,000)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/से सृजित निवल नकदी (आ)	(2310,19,25,329)	(872,51,30,040)
(ग) गतिविधियों के वित्तपोषण से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/अंशदान	377,08,64,449	385,71,12,830
बांडों से प्राप्ति	5320,59,80,000	3181,13,60,000
उधार में वृद्धि / कमी	1374,73,21,456	870,90,11,157
जमा में वृद्धि / कमी	(2926,08,40,881)	(97,55,56,068)
ऋण और अग्रिम में वृद्धि	436,99,46,417	(3433,81,21,155)
गतिविधियों के वित्तपोषण से निवल नकदी का सृजन (इ)	4583,32,71,441	906,38,06,764
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)	(927,24,84,781)	810,86,73,388
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1179,86,40,761	368,99,67,373
अवधि की समाप्ति में नकदी और नकदी समकक्ष	252,61,55,980	1179,86,40,761
नोट : नकदी और नकदी समकक्ष में हस्ते रोकड़, भारि बैंक के पास शेष, भारत में अन्य बैंकों में चालू खाते में शेष और मार्गस्थ प्रेषण शामिल हैं.		
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार शार्प एण्ड टैनन सनदी लेखाकार हस्ताक्षरकर्ता :		
पी. सतीश मुख्य महाप्रबंधक वित्त और लेखा विभाग नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2005	मिलिंद पी. फडके साझेदार सदस्यता सं. 33013 नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2005	
रंजना कुमार अध्यक्ष दिनांक 14 जून 2005	य.शं.पा. थोरात प्रबंध निदेशक	राधा सिंह निदेशक
		डॉ. पी. राघवन निदेशक